(1)

(43)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /18 निगरानी

निगरानी-4633/2018/टीकमगढ़/भू०रा०

1— लखन लाल पुत्र श्री रतन लाल अहिरवार
आयु—57 वर्ष, व्यवसाय—कृषि कार्य

2— सियाराम पुत्र श्री गोकल अहिरवार
आयु—65 वर्ष, व्यवसाय—कृषि कार्य

3—देवेन्द्र पुत्र श्री ग्यादीन अहिरवार
आयु—30 वर्ष, व्यवसाय—कृषि कार्य
निवासीगण—ग्राम धवा बॅगरा
तहसील—निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
.......आवेदकगण

बनाम

1— मोती लाल कुम्हार पुत्र श्री कन्हैया लाल
आयु—59 वर्ष, निवासी—ग्राम शक्ति भैरो
तहसील—निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
.........अनावेदक

प्रस्तुत! दिनांक 2-8-18

27-7-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 01/06/18 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कलॉ निवाडी, जो प्रकरण कमांक 65/अ—12/2017—18 में पारित कर अनावेदक का सीमांकन आवेदन स्वीकार कर सीमांकन, पंचनामा, फील्ड बुक और सूचना—पत्र स्वीकृत किया है। सीमांकन आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर अनेक्चर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, आवेदकगण शासकीय कृषि भूमि खसरा क्रमांक नं.—1185/1 स्थित ग्राम शक्ति भैरो तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 पर लगभग 50 वर्षो से वास्तविक रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। जिस पर आवेदकगण को शासन द्वारा अर्थ दण्ड भी लिया गया है।

2— यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त शासकीय कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1185/1 का राजस्व निरीक्षक मण्डल **तरीचर कलॉ** निवाडी के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02/04/2018 को किया जाना कहा जाता है.। जिस आधार पर श्रीमान् राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक

२

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4633/2018/टीकमगढ़/भू.रा. लखनलाल विरूद्ध मोतीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक लखनलाल की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र माहौर उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कलॉ के सीमांकन आदेश दिनांक 01-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 2 22.x.18 (आर.के. जैन) सदस्य	